बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

राज्य बाल संरक्षण समिति

बाल सहायता योजना

संचिका संख्या-EJ-1283/4/2021-SEC-CNCP-SCPS- 343

मार्गदर्शिका

1. उद्देश्य:-

बाल सहायता योजना का उद्देश्य करोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन-पोषण, आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना है।

2. लक्षित समूह एवं पात्रता/अर्हता:-

कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0-18 वर्ष आयु समूह के बच्चे, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु, जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, इस योजना के तहत पात्र माने जायेंगे।

3. देय लाभ:-

3.1 इस योजना के अन्तर्गत योग्य बच्चे जो गैर - सांस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों, को 18 वर्ष की आयु तक पालन-पोषण हेतु अनुदान राशि रू0 1500/- प्रतिमाह देय होगा। योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं पालक परिवार के कर्ता के नाम से खोले गए संयुक्त बचत खाता में राज्य स्तर से सीधे हस्तानांतरित किया जायेगा। यह अनुदान केन्द्र सरकार के द्वारा कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों हेतु देय लाभ के अतिरिक्त होगा।

3.2 गैर-संस्थागत व्यवस्था अर्थात् अभिभावक या किसी पालक परिवार की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानानुसार ऐसे अनाथ बच्चों की देख-रेख एवं उनका संरक्षण राज्य सरकार द्वारा जे0जे0एक्ट अंतर्गत निबंधित बाल देखरेख संस्थान में किया जाएगा।

3.3 इस योजना के अंतर्गत योग्य बच्चियों का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

4. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक:-

कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चे के पालक परिवार का मुख्य व्यक्ति/गैर-सरकारी संस्था/विधिक अभिभावक इस योजना के तहत आवेदक हो सकते हैं।

5. आवेदन एवं लाभुकों के चयन की प्रक्रिया:-

5.1 इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय/समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्रों से नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट- https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

5.2 आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर एवं आवश्यक कागजात संलग्न कर संबंधित क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध कराएंगे। इसकी जॉच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्वयं करनी है। इस मामले में आंगनबाड़ी सेविका का मंतव्य आवश्यक नहीं है। आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद आंगनबाड़ी सेविका/बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

5.3 आंगनबाड़ी सेविका, आवेदक द्वारा आवेदन देने के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर जॉचोपरांत अपने मंतव्य के साथ कि "प्राप्त आवेदन में अंकित सूचनाएँ मेरी सर्वोतम जानकारी एवं जॉच के अनुरूप सही है/नहीं है तथा आवेदक बाल सहायता योजना का लाभ पाने की अर्हता रखता है/नहीं रखता है", बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य हेतु 50 (पचास) रूपये प्रति लाभुक की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो कि 1 (एक) प्रतिशत प्रशासनिक मद में सम्मिलित होगा।

5.4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन पत्र एक सप्ताह के भीतर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित अग्रसारित करेंगे। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई स्वीकृत्यादेश प्रपत्र- ।। में आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर नियमानुसार स्वीकृत करने की कार्रवाई करेंगे।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेज:-

6.1 सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत माता एवं पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें कम से कम किसी एक की मृत्यु का कारण कोरोना महामारी हो।

6.2 सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत लाभुक का जन्म प्रमाण पत्र। यदि बच्चा पूर्व से ही विद्यालय में नामांकित है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

6.3 जिला बाल कल्याण समिति द्वारा अनाथ बच्चे के पालन पोषण हेतु पालक परिवार के कर्ता को जारी आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

6.4 किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बच्चे का पालक परिवार के कर्ता के साथ संयुक्त बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति।

7. भुगतान की प्रक्रिया:-

7.1 स्वीकृत्यादेश के आलोक में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन लाभुकों की विवरणी इंट्री तथा लॉक फॉर पेमेंट की कार्रवाई करेंगे। इसके उपरान्त राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

8. अनुदान का नवीकरण:-

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आरंभिक अनुदान स्वीकृति मात्र 12 माह के लिए होगी, परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वत: नवीकरण हो सकेगा, बशर्ते की कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त न हो।

9 योजना का अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण:-

9.1 इस योजना का अनुश्रवण तथा कार्यक्रम घटकों के संचालन की प्रगति की समीक्षा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में एवं सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में की जाएगी।

9.2 साथ ही सहायक निदेशक / निदेशक द्वारा जिला / राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायत की सुनवाई कर उसका निराकरण किया जाएगा।

9.3 सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अपने स्तर से लाभुकों के उचित देख-भाल, शिक्षा का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जायेगा।

प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राज कुमार)
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष,राज्य बाल संरक्षण समिति।

ज्ञापांक-343 पटना, दिनांक- 06.07.2021

प्रतिलिपि - 1. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग-सह-अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

3. सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। मार्गदर्शिका की प्रति अपने स्तर से सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य हितधारकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(राज कुमार)
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष,राज्य बाल संरक्षण समिति।